**सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाना**

2085. **चौधरी हरि सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंभीर आर्थिक संकटों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस वजह से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट अल्वा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Appointment cases pending in Public Enterprises Selection Board**

2086. SHRI VIREN J. SHAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases for appoint, ment pending for consultation before the Public Enterprises Selection Board as on 31st Dec. 1992;

(b) the number of cases in which appointments have been made in consultation with the P.E.S. Board during the year 1992-93; and

(c) the number of cases where appointments have so far been made without the consultation of the P.E.S. Board during the year 1992-93 and the reasons therefor in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) As per available information, there were 16 cases for appointment pending for consultation before the Public Enterprises Selection Board as on 31-12-1992.

(b) Approval for appointment in respect of 153 posts were issued in consultation with PESB during the psriod 1-4-1992 to 28-2-1993.

*(c)* Information is being collected and will be laid on the table of the House.

**भ्रष्टाचार के लंबित मामले**

2087. **श्री विलीय सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में वर्ष 1990–91 से 1992–93 तक सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में भ्रष्टाचार के वर्षवार कितने-कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) कितने मामले न्यायालयों में पेश किए गए हैं; और

(ग) 31–3–1993 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में भ्रष्टाचार के कितने-कितने मामले न्यायालयों में पेश किए जाने शेष थे और ये कब से लंबित हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट अल्वा) :** (क) से (ग) भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। सक्षम प्राधिकारी होने के नाते